बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन,लि0

खाद्य भवन, दरोगा प्रसाद राय पथ, आर,ब्लॉक रोड नं0–2 पटना 800001

प्रत्रांक–10:04:45:01:18–9567 / निगरानी, पटना, दिनांक– 14/09/18

प्रेषक,

पंकज कुमार, भा0प्र0से0,
प्रबन्ध निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला प्रबंधक,
बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम।

विषयः– बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के गादामों का निरीक्षण एवं भंडार के संधारण के संबंध में।

प्रसंगः– **निगम मुख्यालय का पत्रांक–2491, दिनांक–16.03.2017 एवं 10901, दिनांक–14.12.2010, पत्रांक–4907, दिनांक–17.05.2018,**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, प्रसंगाधीन पत्र का संदर्भ ले जिसमें गोदाम के भंडार के सत्यापन के संबंध में दिशा निर्देश दिये गये हैं। उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली (Supply Chain Management System) लागू हो जाने के फलस्वरूप गोदामों के सभी भंडार ऑनलाईन कर दिये गये हैं। अतः आवश्यक है कि ऑनलाईन भंडार एवं गोदामों का संधारण होने वाले पंजीयों एवं परफोरेटेड शीट का संधारण इस प्रकार से हो कि इसमें कोई विषमता नहीं रहे।

2. उल्लेखनीय है कि सभी जिलों में अपर जिला प्रबंधक, अधिप्राप्ति एवं जन वितरण के लिए दो पद स्वीकृत किये गये हैं, जिसके फलस्वरूप स्वतंत्र रूप से इन पदों पर पदाधिकारी का पदस्थापन एवं अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उनके दायित्वों एवं कर्त्तव्यों का भी विस्तृत दिशा–निर्देश पत्रांक–12212, दिनांक–01.12.2017 एवं 438, दिनांक–15.01.2018 द्वारा निर्गत है।

3. गोदाम के स्तर पर खाद्यान्न की प्राप्ति/निर्गमन की जवाबदेही निगम के परिपत्र द्वारा परिभाषित किया जा चुका है एवं निगम के भंडार का ताला–चाभी सहायक प्रबंधक के जिम्मे होता है। कई मामलों में यह देखा गया है कि सहायक प्रबंधक द्वारा गोदाम की चाभी किसी अन्य व्यक्ति को देने के फलस्वरूप गोदाम में क्षति पाई गई है। वैसी परिस्थिति में सहायक प्रबंधक की मूल जवाबदेही के साथ अन्य कर्मियों की संलिप्तता परिलक्षित हुई है। आप अवगत होंगे की निगम में स्वीकृत पदों के विरूद्ध निगम द्वारा सहायक प्रबंधक की कमी के कारण संविदा पर सहायक प्रबंधकों को नियुक्त कर पदस्थापित किया गया है। जिला स्तर पर जिला प्रबंधक द्वारा कई संविदा पर नियुक्त सहायक प्रबंधकों को मूल गोदाम के प्रभार के अतिरिक्त भी अन्य गोदाम का प्रभार दिया गया है, जिसके कारण कतिपय मामलों में बड़े मात्रा में गबन/क्षति के मामले प्रकाश में आये हैं। अतः निदेश है कि वैसे मामलों में संविदा नियुक्त सहायक प्रबंधकों को एक ही गोदाम का प्रभार दिया जाय एवं उन गोदामों का पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण प्रत्येक माह में कम से कम दो बार जिला प्रबंधक/अपर जिला प्रबंधक की ओर से कि जानी चाहिए।

.....2

4. उपरोक्त प्रसंमाधीन पत्र द्वारा जिला प्रबंधक को प्रत्येक माह कम से कम 3 गोदामों का भौतिक सत्यापन एवं खाद्यान्न के अवशेष के भंडारित मात्रा से मिलान करने का निदेश दिया गया था। पुनः महाप्रबंधक, भंडारण के स्तर से सितंबर एवं अक्टूबर माह में सीमावर्ती जिले सहायक प्रबंधक (सी0एम0आर0) एवं गुणवत्ता नियंत्रकों की टीम गठित कर सत्यापन हेतु सभी जिला प्रबंधकों को उपलबध करायी गई है। इसका अनुपालन नहीं होने के कारण खाद्यान्न के भंडार पर नियंत्रण रखना कठिन हो रहा है।

अतः उपरोक्त पत्र की प्रति इसके साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि बिना मुख्यालय की अनुमति के संविदा पर कार्यरत सहायक प्रबंधकों को एक से अधिक गोदामों का प्रभार नहीं दिया जाय एवं उन गोदामों का निरीक्षण एवं अनुश्रवण जिला प्रबंधक/अपर जिला प्रबंधक के स्तर से नियमित रूप से की जाय तथा गबन/क्षति के मामलों में गोदाम का भौतिक सत्यापन करते हुए यदि कोई गबन/क्षति का मामला प्रकाश में आता है तो अविलंब संबंधित पदाधिकारी तथा कर्मी के विरूद्ध प्राथामिकी दर्ज कराते हुए राशि की वसूली की कार्रवाई की जाय।

उल्लेखनीय यह भी है कि विभागीय पत्रांक–9470 दिनांक–12.09.2018 को भी क्षति/गबन की राशि वसूली के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। अतः अनुरोध है कि उक्त दिशा निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक यथोक्त।

विश्वासभाजन,

14/9/2018
(पंकज कुमार)
प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांक– 9567 / पटना, दिनांक– 14/09/18

प्रतिलिपिः–सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को उपरोक्त पत्र के आलोक में पुनः स्मारित करते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14/9/2018
प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांक– 9567 / पटना, दिनांक– 14/09/18

प्रतिलिपिः–मुख्य महाप्रबंधक, जनविरतण/अधिप्राप्ति/महाप्रबंधक, भंडारण/महाप्रबंधक, जनवितरण/अधिप्राप्ति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/9/2018
प्रबंध निदेशक।

बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरशन लि0:

खाद्य भवन, दारोगा राय पथ आर0 ब्लॉक रोड नं0-2 पटना-800001

पत्रांक- नि01 0:04:22:01:16- 2491 दिनांक- 16-03-2017

प्रेषक,

पंकज कुमार, भा0प्र0से0,
प्रबंध निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला प्रबंधक,
राज्य खाद्य निगम,
बिहार ।

विषय- निगम मुख्यालय के आदेशानुसार गोदामों का निरीक्षण/जॉच नहीं करने के कारण गोदाम प्रभारी द्वारा गोदामों में खाद्धान्नों का अत्यधिक मात्रा में गवन करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक निगम मुख्यालय के पत्रांक 10901 दिनांक 14.12.10 एवं 6929 दिनांक 06.6.16 द्वारा जिला कार्यालय में अभिलेखों तथा विभिन्न पंजियों के संधारण हेतु दिशा निदेश निर्गत किया गया था। उक्त पत्र की कंडिका-8 में उल्लेख किया गया है कि जिला प्रबंधक प्रत्येक माह में कम से कम तीन गोदामों का भ्रमण कर गोदाम में भंडारित खाद्धान्नों का भौतिक सत्यापन (बोरों की गिनती कर) भंडार पंजी में दर्शायी गई अंतिम शेष की मात्रा से मिलान करते हुए भंडार पंजी पर अपना हस्ताक्षर अंकित करेंगे। इसी प्रकार प्रत्येक अगले माह में अन्य तीन गोदामों का भ्रमण उक्त प्रकिया पूरी करेंगे। इसके अतिरिक्त कंडिका-9 में उल्लेख किया गया है कि जिला कार्यालय स्तर पर संधारित होने वाली पंजियॉ यथा- कैश बुक, लेजर, बैंक ड्राफ्ट पंजी, चेक निर्गत पंजी, भंडार निर्गमादेश पंजी, बैंक स्टेटमेन्ट एवं बैंक सामाधान विवरणी का संधारण नियमानुसार स-समय सुनिश्चित करेंगे। उक्त उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करने पर अथवा शिथिलता वर्ते जाने की स्थिति में किसी प्रकार की गवन/क्षति एवं अन्य अनियमिताओं के लिए संबंधित कर्मचारियों के अतिरिक्त जिला प्रबंधक/सहायक लेखा पदाधिकारी को भी संयुक्त रूप से जिम्मेवार माने जाने का निदेश दिया गया है।

निगम मुख्यालय को प्राप्त सूचनानुसार निगम के लगभग सभी जिलों में गोदामों के भंडारण में खाद्धान्न की कमी प्रतिवेदित हो रही है। गोदाम प्रभारी का एक जिले से दुसरे जिले में स्थानान्तरण होने, सेवा निवृत होने अथवा पैतृक विभाग में सेवा वापस हो जाने की स्थिति में उनके द्वारा संबंधित गोदामों का गोदाम पंजी का प्रभार नहीं देने के कारण क्षति/गवन एवं अन्य अनियमितताये स-समय प्रकाश में नहीं आ पाता है तथा संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा भी इस अनियमितताओं को दवाकर रखा जाता है तथा बाद में उजागर होने पर कार्रवाई तथ्यहीन हो जाता है।

उपरोक्त के आलोक में निदेशित किया जाता है कि सभी जिला प्रबंधक निगम मुख्यालय के पत्रांक 10901 दिनांक 14.12.10 एवं 6929 दिनांक 06.6.16 द्वारा दिये गये निदेश का अक्षरशः पालन करें। निगम के किसी भी गोदाम में गोदाम प्रभारी द्वारा यदि खाद्धान्नों एवं सी0एम0आर0 का गवन किया जाता है अथवा सम्पूर्ण अभिलेखों का प्रभार नहीं दिया जाता है, तो उनके विरुद्ध संबंधित थाना में अविलम्ब प्राथमिकी दर्ज करें तथा निलाम पत्र पदाधिकारी के समक्ष निलाम पत्रवाद दायर करें। उक्त निदेश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने की स्थिति में आपकी सहभागिता मानते हुए आपके विरुद्ध प्रशासनिक एवं अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन,

ह0/-

प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांक- नि010:04:22:01:16- दिनांक-

प्रतिलिपि सभी प्रमुख/सभी उप प्रमुख/कम्पनी सचिव/कम्प्यूटर शाखा एवं गोपनीय शाखा, मुख्यालय को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांक- नि010:04:22:01:16- 2491 दिनांक- 16/03/17

प्रतिलिपि सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि निर्धारित मापदण्ड के अनुसार गोदामों का निरीक्षण एवं सत्यापन जिला आपूर्ति पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारियों से कराने की कृपा की जाय।

16/3/17

प्रबंध निदेशक।

बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0.

सोन भवन, 5वीं मंजिल, वीरचन्द पटेल पथ, पटना–800001.

पत्रांक– 1070 दिनांक– 15.12.10

अनुलग्नक-D-2

प्रेषक,

प्रदीप कुमार, भा0प्र0से0,
प्रबंध निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला प्रबंधक,
राज्य खाद्य निगम,
बिहार/झारखण्ड।

विषयः– जिला कार्यालय में अभिलेखों तथा विभिन्न पंजियों के संधारण हेतु दिशा–निर्देश।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पूर्व में निगम मुख्यालय के पत्रांक 2288 दिनांक 27.3.04 द्वारा सभी जिला प्रबंधकों को लेखा पंजियों के संधारण संबंधी दिशा–निर्देश दिया गया था। जिला कार्यालयों में निरीक्षण/अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया है कि अधिकांश जिलों में मुख्यालय द्वारा समय–समय पर लेखा संधारण से संबंधित जो आदेश निर्गत किये जाते हैं उनका अनुपालन पूर्ण रूप से नहीं किया जाता है। अतः इस संबंध में आप सभी को यह निदेश दिया जाता है कि निम्नलिखित प्रतिवेदनों एवं अभिलेखों का संधारण ससमय करना सुनिश्चित करें।

1– भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न उठाव कर उठाव प्रभारी जिला कार्यालय को उठाव प्रतिवेदन प्रत्येक दिन विहित प्रपत्र में समर्पित करना सुनिश्चित करें।

2– संबंधित गोदाम के सहायक प्रबंधक खाद्यान्न प्राप्ति संबंधी आगत प्रतिवेदन (Arrival Report) प्रत्येक दिन जिला कार्यालय को SMS, दूरभाष अथवा विशेष दूत के माध्यम से समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। जहाँ फैक्स की सुविधा हो, वहाँ के गोदाम प्रबंधक फैक्स के माध्यम से आगत प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे।

3– उक्त क्रमांक 1 एवं 2 में वर्णित प्रतिवेदन के आधार पर जिला कार्यालय स्तर पर आर0ओ0 पंजी का संधारण किया जाए। प्रायः निगम मुख्यालय को यह सूचना प्राप्त होती है कि जिला कार्यालय द्वारा आर0ओ0 पंजी का संधारण पूर्ण रूप से नहीं किया जाता है, जिसके फलस्वरूप भारतीय खाद्य निगम से उठाव किये गये मात्रा का मिलान निगम के विभिन्न गोदामों के पंजियों से नहीं हो पाता है और गबन/क्षति की संभावना बनी रहती है।

4– प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में जिला प्रबंधक द्वारा सभी गोदाम प्रबंधकों के साथ बैठक आहूत किया जाए जिसमें खाद्यान्न प्राप्ति/निर्गत की समीक्षा के साथ साथ गोदाम में संधारित होने वाले पंजियों की Perforated प्रति भंडार निर्गमादेश की सेवेत प्रति के साथ प्राप्त कर ली जाए।

5– गोदामों से प्राप्त Perforated प्रति की जाँच अगले माह में जिला स्तर पर सुनिश्चित किया जाए तथा संबंधित जाँचकर्ता फलाफल से जिला प्रबंधक को सूचित के माध्यम से अवगत करायेंगे।

(49)

-2-

6— प्रायः यह सूचना प्राप्त होती है कि जिलों में कार्यरत सहायक प्रबंधकों द्वारा खाद्यान्न प्राप्ति के पश्चात् ट्रक चालान परिवहन अभिकर्त्ता को लौटाने में विलम्ब किया जाता है जिस कारण परिवहन विपत्र समय पारित नहीं हो पाता है। इस संबंध में यह आवश्यक है कि गोदाम प्रबंधक खाद्यान्न प्राप्ति के तुरत बाद ट्रक चालान पर खाद्यान्न प्राप्ति संबंधी हस्ताक्षर करते हुए परिवहन अभिकर्त्ता या उसके प्रतिनिधि को चालान प्राप्त करा दें ताकि जिले में कार्यरत परिवहन अभिकर्त्ता गत माह का परिवहन विपत्र अगले माह के सात तारीख तक जिला कार्यालय को समर्पित कर दें। प्रत्येक माह के 15 तारीख तक पिछले माह का परिवहन विपत्र निगम मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

7 - सनदी लेखापाल द्वारा समर्पित माहवार अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रायः इस बात का उल्लेख किया जाता है कि जिला के अन्तर्गत कार्यरत सभी गोदामों से संबंधित पंजी/अभिलेख उन्हें जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करायी जाती है जिस कारण उनके द्वारा समर्पित अंकेक्षण प्रतिवेदन में खाद्यान्न संबंधी विवरणी अपूर्ण रहता है।

8— जिला प्रबंधक प्रत्येक माह में कम से कम तीन गोदामों का भ्रमण कर गोदाम में भंडारित खाद्यान्नों का भौतिक सत्यापन (बोरों की गिनती कर) भंडार पंजी में दर्शायी गयी अंतिम शेष की मात्रा से मिलान करते हुए भंडार पंजी पर अपने हस्ताक्षर अंकित करेंगे। इसी प्रकार प्रत्येक अगले माह में अन्य तीन गोदामों का भ्रमण कर उक्त प्रक्रिया पूरी करेंगे।

9 - जिला कार्यालय स्तर पर संधारित होने वाली पंजियाँ यथा— कैश बुक, लेजर, बैंक ड्राफ्ट पंजी, चेक निर्गत पंजी, भंडार निर्गमादेश पंजी, बैंक स्टेटमेंट एवं बैंक समाधान विवरणी का संधारण विहित प्रपत्र में नियमानुसार समय करना सुनिश्चित करें।

उपर्युक्त वर्णित प्रतिवेदन एवं पंजियों के संधारण में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाय अन्यथा किसी भी प्रकार के गबन/क्षति एवं अन्य अनियमितताओं के लिए संबंधित कर्मचारियों के अतिरिक्त जिला प्रबंधक भी संयुक्त रूप से जिम्मेवार समझे जायेंगे।

विश्वासभाजन,

15/12/10

प्रबंध निदेशक।

AR/

(2)
(43)

बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन,लि0

खाद्य भवन, दरोगा प्रसाद राय पथ, आर,ब्लॉक रोड नं0–2 पटना 800001

प्रत्रांक 9470/ पटना, दिनांक– 12/9/18

प्रेषक,

पंकज कुमार, भा0प्र0से0,
प्रबन्ध निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला प्रबंधक,
बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम।

विषयः– **क्षति/गबन के मामले में संबंधित कर्मियों के विरूद्ध तुरंत प्राथमिकी एवं नीलामपत्र वाद दायर करने के संबंध में।**

प्रसंगः– **निगम मुख्यालय का पत्रांक–4907, दिनांक–17.05.2018,**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, प्रसंगाधीन पत्र का अवलोकन किया जाय जिसमें गोदामों में खाद्यान्न की क्षति/गबन के संबंध में निगम कर्मियों के विरूद्ध असमायोजित अग्रिम राशि का आकलन कर उसकी वसूली का कार्रवाई कर्मियों के सेवा निवृत होने के 3 माह पूर्व करने का निदेश दिया गया था, परन्तु इस संबंध में अबतक कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई है।

अतः पुनः निदेश दिया जाता है कि निगम कर्मियों के विरूद्ध क्षति/गबन, ब्याज एवं असमायोजित अग्रिम राशि का आकलन कर इसकी वसूली की कार्रवाई संबंधित कर्मियों के सेवानिवृति के 3 माह पूर्व संसूचित किया जाय। अन्यथा इसकी सारी जवाबदेही संबंधित जिला प्रबंधक की होगी।

अनुलग्नक यथोक्त।

विश्वासभाजन,

12/9/2018

(पंकज कुमार)
प्रबंध निदेशक।

(1

बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन,लि0
"खाद्य भवन", दारोगा राय पथ, आर0 ब्लॉक, रोड नं0–2, पटना–800001

पत्रांकः– 06:01:51:01:2016–4907 दावा/दिनांक : 17/5/18

प्रेषक,

पंकज कुमार, भा0प्र0से0,
प्रबंध निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला प्रबंधक,
राज्य खाद्य निगम,
बिहार।

विषयः– निगम निदेशक पर्षद की हुई 110वीं एवं 132वीं बैठक में लिए गये निर्णयानुसार खाद्यान्न का क्षति/गबन की राशि एवं ब्याज का आंकलन कर वसूली की कार्रवाई करने के संबंध में।

प्रसंगः– मुख्यालय पत्रांक–3696 दिनांक–29.06.2000, 7589 दिनांक–12.12.2001, 5015 दिनांक–11.08.2001, 6220 दिनांक–17.09.2002, 4706 दिनांक–30.07.2003, 2515 दिनांक–05.04.2004, 2862 दिनांक–24.04.2004, 956 दिनांक–15.02.2007, 9442 दिनांक–03.11.2009, 7218 दिनांक–10.08.2010, 2269 दिनांक–05.03.2013 एवं ज्ञापांक–03/गो0 दिनांक–30.03.2013

महाशय,

प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि निगम गोदामों में काफी मात्रा में खाद्यान्न की क्षति/गबन रहने के बावजूद भी निगम कार्मिकों के विरूद्ध क्षति/गबन, ब्याज एवं असमायोजित अग्रिम राशि का आंकलन एवं इसकी वसूली की कार्रवाई संबंधित कर्मी के सेवा काल में जिला प्रबंधकों द्वारा नहीं किया जाता है, जबकि एतत्संबंधि प्रासंगिक पत्रों द्वारा जिला प्रबंधकों को निदेशित किया गया है। प्रायः सेवा निवृति के पश्चात संबंधित कर्मी के विरूद्ध क्षति/गबन एवं असमायोजित अग्रिम की राशि वसूली हेतु जिला प्रबंधकों द्वारा मुख्यालय प्रतिवेदित किया जाता है, इसके फलस्वरूप संबंधित कर्मी को देय सेवान्त लाभ के भुगतान में अनावश्यक विलम्ब हो जाया करता है और संबंधित कर्मी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिकाएँ दायर कर दी जाती है। सेवा निवृति के पश्चात् वसूलनीय राशि प्रतिवेदित होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसे अमान्य कर दिया जाता है।

प्रासंगिक पत्रांक–2269 दिनांक–05.03.2013 द्वारा पूर्व में ही स्पष्ट निदेश दिया जा चुका है कि आप अपने अधिनस्थ सभी श्रेणी के कार्मिकों को यह निदेशित करें, कि वे सेवा निवृत होने के तीन माह पूर्व अपने पदस्थापित सभी जिला से पूर्ण पदस्थापन काल का क्षति/गबन एवं अन्य प्रकार की वसूलनीय राशि एवं उसके विरूद्ध हुई वसूली की वर्षवार विवरणी प्राप्त कर अनापत्ति प्रमाण पत्र दावा शाखा निगम मुख्यालय को समर्पित करें, ताकि मुख्यालय स्तर से जाँचोंपरान्त वसूलनीय राशि का आंकलन उनके सेवा निवृति के पूर्व की जा सके तथा उन्हें ससमय सेवान्त लाभ का भुगतान किया जा सके। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि सेवा निवृति के तीन माह पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र दावा शाखा को उपलब्ध नहीं कराने एवं इसके कारण सेवान्त लाभ के राशि के भुगतान में विलम्ब होने के लिए संबंधित जिला प्रबंधक एवं सेवा निवृत होने वाले कार्मिक दोनों जिम्मेवार होगें।

अतः निदेश है कि निगम कर्मियों के विरूद्ध उनके सेवाकाल में ही गोदाम का प्रभार के आदान–प्रदान के समय तथा समय–समय पर गोदामों का निरीक्षण एवं गोदाम अभिलेखों की जाँच कर क्षति/गबन एवं असमायोजित अग्रिम की वसूलनीय राशि का आंकलन करते हुए प्रासंगिक पत्रों में वर्णित निदेश के अनुसार सूद सहित इसकी वसूली की कार्रवाई कार्मिक को भुगतेय राशि यथा वेतन, सेवान्त लाभ इत्यादि से की जाय एवं आवश्यक होने पर इस हेतु प्राथमिकी एवं नीलामपत्रवाद दायर करना सुनिश्चित करें, साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि गोदाम अभिलेखों में किसी प्रकार का छेड़–छाड़ न हो। कार्मिकों का स्थानान्तरण होने पर उनके विरूद्ध वसूलनीय राशि की सूचना स्पष्टरूप से उनके अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र (LPC) में भी अंकित करना सुनिश्चित करें, ताकि राशि की वसूली स्थानान्तरित जिला में हो सके।

अनुलग्नकः– यथा प्रासंगिक सभी पत्रों की प्रतियाँ।

विश्वासभाजन

16/5/18
(पंकज कुमार)
प्रबंध निदेशक।

Nandan-Dawa-Desk 445